957

[2020] 4 एस. सी. आर 957

ए.

भागवान सिंह

वी.

उत्तर प्रदेश राज्य (2020 की आपराधिक अपील संख्या 407) 18 मार्च, 2020

बी.

[एस. ए. बोबडे, सीजेआई, बी. आर. गवई और सूर्या कान्ट, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860:एसएस।304-II और 308-गैर-इरादतन हत्या-एक विवाह समारोह में, दूल्हे-अपीलार्थी के पिता ने बंदूक को छत की ओर निशाना बनाया और फिर गोली चला दी-बंदूक की गोली से दो लोगों की मौत हो गई और अन्य घायल हो गए-अपीलार्थी यू/एस को दोषसिद्धि गया।302 और 307 और आजीवन कारावास और जुर्माने के साथ 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई-हालाँकि, उच्च न्यायालय द्वारा रोक दिए जाने पर, यू/एस अपराध के लिए बरी कर दिया गया।25 शस्त्र अधिनियम-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःअपीलार्थी जीवित कारतुस के साथ बंदूक ले जाने के परिणामों से इस ज्ञान के साथ नहीं बच सकता है कि वहाँ मौजूद लोगों के साथ एक विवाह समारोह में गोलीबारी करना आसन्न रूप से खतरनाक था और मृत्यु का कारण बनने की संभावना थी-अपीलार्थी घातक चोटों का दोषी है जो उसके लिए जिम्मेदार हैं-अपीलार्थी के पास 'गैर इरादतन हत्या' के अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक आवश्यक ज्ञान था।299 और दंडनीय यू/एस।304- II-इस प्रकार, वह यू/एस दोषी है।304-II और यू/एस नहीं।302 और अपीलार्थी को दिए गए आजीवन कारावास की सजा को घटाकर 10 साल के कठोर कारावास कर दिया गया है-अपीलार्थी को 'गैर इरादतन हत्या करने के प्रयास' के लिए दंडित किया जा सकता है जो हत्या के बराबर नहीं है।308, एस के स्थान पर।307 अन्य तीन पीड़ितों को हुई चोटों के लिए और सजा को तदनुसार प्रतिस्थापित किया जाता है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1** अभियोजन पक्ष का संस्करण इस हद तक कि अपीलार्थी ने ए को निशाना बनाया और फिर गोली चलाई**,** खारिज कर दिया जाता है।अभिलेख पर साक्ष्य से विपरीत रूप से पता चलता है कि अपीलार्थी ने बंदूक को छत की ओर निशाना बनाया और फिर गोली चला दी।यह मिस**-**फायरिंग का एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला था।अपीलार्थी निश्चित रूप से इस निष्कर्ष से खुद को मुक्त नहीं कर सकता है कि वह एक भीड़**-**भाड़ वाली जगह पर एक भरी हुई बंदूक ले गया था जहाँ उसके अपने मेहमान शादी में भाग लेने के लिए एकत्र हुए थे।

जी.

एच.

957 ए.

958 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 4 एस. सी. आर.

समारोह।उन्होंने हवा में या आसमान की ओर गोली चलाने जैसे कोई उचित सुरक्षा उपाय नहीं किए**,** बल्कि उन्होंने पूरे जोखिम को आमंत्रित किया और बंदूक को छत की ओर निशाना बनाया और गोली चलाई।उनसे यह जानने की उम्मीद की जा रही थी कि गोलियों से आस**-**पास के लोगों को कई बार गोली लग सकती है**,** भले ही एक भी गोली चलाई जाए। अपीलार्थी**,** इस प्रकार**,** एक ऐसे कार्य का दोषी है**,** जिसके संभावित परिणाम**,** जिसमें एक निकट परिपथ में रहने वाले व्यक्तियों को घातक चोट पहुँचाना शामिल है**,** उसके लिए जिम्मेदार हैं।अपीलार्थी द्वारा किया गया अपराध**,** इस प्रकार**,** धारा **299** के अर्थ के भीतर 'गैर**-**इरादतन हत्या' के बराबर होगा**,** हालांकि यू/एस के तहत दंडनीय होगा।**304** भाग **2** भारतीय दण्ड संहिता सी**. [**पैरा **16] [963-**जी**-**एच**; 964-**ए**-**सी**] 1.** जश्न मनाने वाली गोलीबारी की घटनाएं अफसोसजनक रूप से बढ़ रही हैं**,** क्योंकि उन्हें स्थिति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।आत्म**-**सुरक्षा या फसलों और मवेशियों की सुरक्षा के लिए लाइसेंस प्राप्त बंदूक को उत्सव के आयोजनों में नहीं दागा जा सकता है**,** क्योंकि यह घातक दुर्घटनाओं का एक संभावित कारण है।जैसे आग्नेयास्त्रों का दुरुपयोग एक सुखद घटना को निराशा में बदल देता है।अपीलार्थी जीवित कारतुस के साथ बंदूक ले जाने के परिणामों से इस ज्ञान के साथ नहीं बच सकता है कि वहाँ मौजूद लोगों के साथ एक विवाह समारोह में गोलीबारी आसन्न रूप से खतरनाक थी और मृत्यु का कारण बनने की संभावना थी।**[**पैरा **17] [964-**सी**-**डी**]**

बी.

सी.

डी.

1.3 अपीलार्थी के पास धारा **299** के तहत 'गैर इरादतन हत्या' के अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक ज्ञान था और भारतीय दण्ड संहिता सी**.** की धारा **304** भाग**-2** के तहत दंडनीय था। इस प्रकार उसे भारतीय दण्ड संहिता सी**.** की धारा **304** भाग**-2** के तहत दोषी ठहराया जाता है न कि भारतीय दण्ड संहिता सी**.** की धारा **307** के तहत। इसी सादृश्य पर**,** अपीलार्थी को अन्य तीन पीड़ितों को हुई चोटों के लिए भारतीय दण्ड संहिता सी**.** की धारा **307** के स्थान पर धारा **308** के तहत 'गैर इरादतन हत्या करने के प्रयास' के लिए दंडित किया जा सकता है।**[**पैरा **19] [965-**ए**-**बी**] 1.4** भारतीय दण्ड संहिता सी**.** की धारा **302** के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को भारतीय दण्ड संहिता सी**.** की धारा **304** भाग**-2** में संशोधित किया गया है और भारतीय दण्ड संहिता सी**.** की धारा **307** के तहत भारतीय दण्ड संहिता सी**.** की धारा **308** में परिवर्तित किया गया है। एक आवश्यक परिणाम के रूप में**,** अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता सी**.** की धारा **302** के तहत अपराध करने के लिए दी गई आजीवन कारावास की सजा को घटाकर **10** साल का कठोर कारावास कर दिया गया है और भारतीय दण्ड संहिता सी**.** की धारा **307** के तहत उसे दी गई सजा को निचली अदालत द्वारा लगाए गए जुर्माने में कोई बदलाव किए बिना भारतीय दण्ड संहिता सी**.** की धारा **308** के साथ प्रतिस्थापित किया गया है।**[**पैरा **20] [965-**सी**-**डी**]** ए

ई.

एफ.

जी.

एच.

959

भागवान सिंह बनाम उत्तरखंड राज्य ए

कुंवर पाल बनाम उत्तराखंड राज्य **(2014) 12** एससीसी

434 :[2013] 10 एस**.** सी**.** आर**. 239-**संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

[2013] 10 एससीआर **239**

संदर्भित किया गया है

पैरा **10**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2020 की आपराधिक अपील संख्या 407।

बी.

2013 की आपराधिक अपील संख्या 304 में नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के दिनांकित 26.07.2017 के निर्णय और आदेश से।सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री सुप्रिया जुनेजा, आदित्य सिंगला, सुश्री महक जग्गी, चेस्ता जेटली, सुश्री आकांक्षा मेहता, हर्ष यादव, आर्यन देव उनियाल, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

सी.

जतिंदर कुमार भाटिया, कृष्णन मिश्रा, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय दिया गयाः

न्याय

डी.

1.अनुमति प्रदान की गई।

2. यह आपराधिक अपील उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा 26 जुलाई, 2017 को पारित फैसले के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसके तहत 11/12 जुलाई, 2013 के फैसले और आदेश के खिलाफ अपीलार्थी की आपराधिक अपील, जिसमें विद्वान सत्र न्यायाधीश, बागेश्वर ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं (संक्षेप में, 'आई. पी. सी.') के तहत दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास (आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत) और 5 साल के कठोर कारावास (आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत) के साथ-साथ 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। 20, 000/- की चूक में जिसे उन्हें 6 महीने के अतिरिक्त कठोर कारावास से गुजरने का निर्देश दिया गया था, उसे खारिज कर दिया गया था।हालाँकि, अपीलार्थी को आवश्यक मंजूरी के अभाव में शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत दंडनीय अपराध के लिए बरी कर दिया गया था।

ई.

एफ.

3. शुरुआत में यह उल्लेख किया जा सकता है कि विशेष अनुमति याचिका की सूचना अपीलार्थी द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति को निर्धारित करने के लिए सीमित प्रश्न पर जारी की गई थी, यानी कि क्या यह भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 302 या 304 के दायरे में आती है। इस प्रश्न को निर्धारित करने के लिए तथ्यों को संक्षेप में नोट किया जा सकता है।

जी.

तथ्यः

21 अप्रैल, 2007 को अपीलार्थी के बेटे का विवाह समारोह उत्तराखंड के गाँव दफौत में हो रहा था।

5:30 जैसे ही विवाह जुलूस अपीलार्थी के प्रांगण में पहुँचा-उसने अचानक जश्न मनाने के लिए गोलियां चलाईं।छर्रों ने आंगन में खड़े 5 लोगों को मारा, जिनके नाम श्रीमती। अनीता डब्ल्यू/ओ चंचल सिंह, खुशाल सिंह @सोनू, उम्मेद सिंह (पीडब्लू. 6), श्रीमती. विमला डब्ल्यू/ओ देवेंद्र सिंह (पीडब्लू. 5) और श्रीमती. विमला डब्ल्यू/ओ भूपाल सिंह (पी. डब्ल्यू. 7)।घायलों को अस्पताल ले जाया गया जहां उनमें से दो-अनीता और खुशाल सिंह उर्फ सोनू ने दम तोड़ दिया।बाद में लगभग 8 बजेः40 अपराह्न, धरम सिंह (पीडब्लू. 3) ने पुलिस थाना कोठवाली, बागेश्वर में एक प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें पूरी घटना का विस्तार से वर्णन किया गया, जिसके वह स्वयं गवाह थे।

बी.

5. अनुसंधान के समापन के बाद, शुरू में भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 304 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था, लेकिन बाद में अपीलार्थी पर भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 307 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत आरोप लगाया गया था।

सी.

6. एल. डी. सत्र न्यायाधीश ने चश्मदीद गवाहों और घायल गवाहों की गवाही के आधार पर अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 303 और 307 के तहत अपराधों का दोषी ठहराया।यह ध्यान दिया गया कि अपीलार्थी ने अपने बेटे की लाइसेंस प्राप्त बंदूक से गोलियां चलाईं जिससे श्रीमती को घातक चोटें आईं। अनीता और खुशाल सिंह और तीन अन्य घायल हो गए।परिणामस्वरूप उन्हें उस तरीके से सजा सुनाई गई जैसा कि आदेश के शुरुआती पैराग्राफ में संक्षेप में देखा गया था।

डी.

7. याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में अपील की।उनका प्राथमिक तर्क था कि उनका किसी की मौत का कारण बनने का कोई इरादा नहीं था।उन्होंने कहा कि गोलीबारी दुर्घटनावश हुई थी और यह एक गेंद के कारण हुई थी जिससे कुछ बच्चे खेल रहे थे।गेंद उनके हाथ में बंदूक से टकरा गई और गोलियों की बौछार हो गई।यह घटना एक स्वीकृत तथ्य था और एकमात्र याचिका यह थी कि यह दुर्घटनावश गोलीबारी का मामला होने के कारण, भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 300 के तहत दंडनीय नहीं थी।

ई.

एफ.

8. उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की याचिका को खारिज कर दिया और निम्नानुसार निर्णय दियाः

“अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदन में कोई योग्यता नहीं है।पी. डब्ल्यू. 2..... अनीता और नौकरी से निकाल दिया।गोली उसकी छाती में लगी।उसे अस्पताल ले जाया गया और मृत घोषित कर दिया गया।अपनी प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया है कि गेंद बंदूक से टकरा गई है जिसके कारण दुर्घटनावश आग लग गई।पीडब्लू3 ए

जी.

एच.

961

भागवान सिंह बनाम उत्तरखंड राज्य ए

धरम सिंह ने यह भी स्वीकार किया है कि बंदूक से आरोपी को चोटें लगी थीं।घायलों को अस्पताल ले जाया गया।उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि यह दुर्घटनावश आग लगने का मामला था।पीडब्लू4 तेजपाल सिंह एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी हैं।उनके अनुसार अपीलार्थी ने नौकरी से निकाल दिया।गोलियों ने अनीता और उनके बेटे खुशाल उर्फ सोनू को मारा था।उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि यह एक आकस्मिक आग थी।पीडब्लू5 विमला देवी पति देवेंद्र सिंह ने भी चश्मदीद गवाह पीडब्लू2 चंदचल (एसआईसी) के बयानों की पुष्टि की है। सिंह और पीडब्लू 4 तेजपाल सिंह।उनके अनुसार, अपीलार्थी ने गोली चला दी है और उन्हें गोली लगने से चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है।पीडब्लू6 उम्मेद सिंह एक अन्य चश्मदीद गवाह हैं।उनके अनुसार, अपीलार्थी को बंदूक पकड़े हुए देखा गया था।उन्हें भी चोटें आईं।उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि यह दुर्घटनावश आग लगने का मामला था।पी. डब्ल्यू. 7 विमला देवी पति भूपाल सिंह भी चश्मदीद गवाह हैं।उसके अनुसार, अपीलार्थी ने अपनी बंदूक चलाई और उसे अन्य लोगों के साथ गोली लगने से चोटें आई थीं।उसे भी अस्पताल ले जाया गया।उसने जिरह में स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने अनीता देवी और खुशाल सिंह को निशाना बनाकर गोली चलाई थी।”

बी.

सी.

डी.

उच्च न्यायालय ने आगे कहा हैः

“अपीलार्थी छत पर खड़ा था।उसने अनीता देवी को निशाना बनाया।गोली अनीता देवी की छाती में लगी।खुशाल सिंह @सोनू को भी गोलियों से चोटें आईं।गोली लगने से अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं।अपीलार्थी को पीडब्लू2 चंचल सिंह, पीडब्लू4 तेजपाल सिंह, पीडब्लू5 श्रीमती द्वारा गोली चलाते हुए देखा गया था। विमला देवी का पुत्र देवेंद्र सिंह, पीडब्लू 6 उम्मेद सिंह और पीडब्लू 7 विमला देवी का पुत्र भूपाल सिंह है।इसे लापरवाही का मामला नहीं कहा जा सकता है।अभियुक्त को पूरी जानकारी थी कि यदि गोली किसी विशेष व्यक्ति को निशाना बनाकर चलाई जाती है, तो उसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाएगी।”

ई.

एफ.

9. जैसा कि पहले कहा गया है, इस न्यायालय ने अपराध की प्रकृति तक सीमित नोटिस जारी किया।अपीलार्थी का श्रीमती की मृत्यु का कारण बनने का दोष। अनीता और खुशाल सिंह को गोली लगने की चोट के रूप में, जैसा कि समवर्ती रूप से साबित किया गया था, इस प्रकार न तो हस्तक्षेप करने का इरादा था और न ही हमारे सामने इसे गंभीरता से फिर से सक्रिय किया गया है।

जी.

तर्कः

10. अपीलार्थी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता को बहुत उत्साह के साथ सीखा

एच.

उन्होंने तर्क दिया कि यह जश्न की गोलीबारी का मामला है जिसमें दुर्भाग्य से दो लोगों की अनजाने में मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए।यह 'गैर-इरादतन हत्या' नहीं है क्योंकि अपीलार्थी को छत की ओर गोलीबारी करते समय इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस कृत्य से मौत होने की संभावना थी।उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह का कार्य आईपीसी की धारा 304-ए के तहत परिभाषित प्रकृति की लापरवाही के बराबर है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने वैकल्पिक रूप से प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी का कार्य भारतीय दण्ड संहिता सी.

की धारा 304 भाग-2 के तहत दंडनीय हत्या के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अपीलार्थी को यह जानकारी थी कि उसके कार्य से मृत्यु होने की संभावना थी, लेकिन उसका मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट का कारण बनने का कोई इरादा नहीं था जिससे मृत्यु होने की संभावना थी। रिलायंस को रखा गया था

बी.

कुंवर पाल बनाम उत्तराखंड राज्य **1** में इस न्यायालय का निर्णय।

सी.

11. इसके विपरीत, विद्वान राज्य के अधिवक्ता ने दोहराया कि अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 307 के तहत सही दोषी ठहराया गया था क्योंकि रिकॉर्ड पर साक्ष्य से पता चलता है कि छत पर खड़े होने के दौरान उसने श्रीमती को निशाना बनाया था। अनीता ने गोली चला दी और गोली उसकी छाती में लग गई।इसी तरह, खुशाल सिंह उर्फ सोनू को आग्नेयास्त्रों से चोटें आईं।अनीता और खुशाल सिंह दोनों की उन चोटों से मौत हो गई।

डी.

विश्लेषणः

12. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।घायल और चश्मदीद गवाहों के बयानों के साथ पढ़ी गई एफ़. आई. आर. की सामग्री से यह पता चलता है कि अपीलार्थी के बेटे का विवाह समारोह था और जैसे ही शाम लगभग साढ़े पाँच बजे विवाह के अनुष्ठान किए गए, अपीलार्थी ने छत की ओर इशारा करते हुए एक लाइसेंस प्राप्त बंदूक से गोली चला दी और 5 लोगों को घायल कर दिया।श्रीमती. अनीता पत्नी चंचल सिंह और खुशाल सिंह उर्फ सोनू गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्होंने अंततः दम तोड़ दिया। श्रीमती. अनीता के साथ-साथ खुशाल सिंह भी विवाह समारोह में भाग लेने के लिए वहां मौजूद थे, जिससे पता चलता है कि न तो उनकी और न ही उनके परिवारों की अपीलार्थी के साथ कोई दुश्मनी थी।इसी तरह, धर्म सिंह (पीडब्लू. 3)-वादी के पास भी अपीलार्थी के खिलाफ पीसने के लिए कोई कुल्हाड़ी नहीं थी।प्रत्यक्षदर्शी विवरण से आगे पता चलता है कि गोली छत की ओर चलाई गई थी और किसी भी पीड़ित को निशाना नहीं बनाया गया था। अतः यह स्वीकार करना कठिन हो सकता है कि अपीलार्थी का श्रीमती को मारने का कोई इरादा था। अनीता या खुशाल सिंह।

ई.

एफ.

जी.

13. अपीलार्थी द्वारा की गई बचाव याचिका भी उतनी ही निराधार है कि उसके पास केवल लाइसेंस प्राप्त बंदूक और उसके द्वारा फेंकी गई गेंद थी।

1 (2014) 12 एससीसी 434 ए

एच.

963

भागवान सिंह बनाम उत्तरखंड राज्य ए

जो बच्चे इसके साथ खेल रहे थे, उन्होंने बंदूक को मारा जिससे दुर्घटनावश गोलीबारी हुई। चश्मदीद गवाहों का संस्करण इस तरह की बचाव कहानी को पूरी तरह से नकारता है।अन्यथा भी, यह सामान्य ज्ञान को आकर्षित नहीं करता है कि एक गेंद अपीलार्थी के हाथ में बंदूक से टकराएगी जिसके परिणामस्वरूप एक अनिर्धारित गोलीबारी होगी।जब तक बंदूक का सुरक्षा ताला आगे नहीं बढ़ाया जाता, तब तक बंदूक स्वचालित रूप से बंद नहीं होती, भले ही उसके बट को प्ले-बॉल से मारा गया हो।अपीलार्थी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 304-ए के पीछे शरण लेने का प्रयास इस प्रकार निरर्थकता की कवायद है और इसे अस्वीकार किया जा सकता है।

बी.

14. इस पृष्ठभूमि में, विचार के लिए छोटा सवाल यह है कि क्या अपीलार्थी का श्रीमती की मृत्यु का कारण बनने का कार्य है। अनीता और खुशाल सिंह निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित 'हत्या' के अपराध या अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ लूथरा द्वारा आग्रह किए गए किसी भी कम अपराध के समान हैं।भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 299 के साथ-साथ 300 ऐसी स्थितियों के लिए प्रावधान करती है जिसमें मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट के इरादे से किसी कार्य के कारण मृत्यु होती है जिसे अपराधी जानता है कि मृत्यु का कारण बनने की संभावना है।धारा 299 और 300 दोनों ऐसे उदाहरणों से संबंधित हैं जिनमें ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे से किसी कार्य के कारण मृत्यु हुई है क्योंकि अपराधी जानता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना है जिसे चोट लगी है।ये प्रावधान ऐसे मामलों से भी निपटते हैं जहां मृत्यु या शारीरिक चोट का कोई इरादा नहीं है जो आमतौर पर मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है।इसलिए, मृत्यु या शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे की अनुपस्थिति जो प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने की संभावना है, निर्णायक नहीं है।यह देखने की आवश्यकता है कि क्या यह ऐसा कार्य है जिसमें अपराधी को यह जानकारी होनी चाहिए कि वह इस तरह के कार्य से मृत्यु का कारण बन सकता है।

सी.

डी.

ई.

15. निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने इस आधार पर आगे बढ़ना शुरू किया है कि अपीलार्थी का बंदूक से गोली चलाना, जो छत की ओर थी, उतना ही बुरा था जितना कि लोगों की भीड़ पर गोली चलाना, इसलिए उसे पता होना चाहिए था कि उसका बंदूक से गोली चलाने का कार्य इतना आसन्न रूप से खतरनाक था कि यह, सभी संभावनाओं में, मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट का कारण बन सकता था जिससे मृत्यु होने की संभावना थी।

एफ.

जी.

16. हालाँकि, तत्काल मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ इस तरह के निष्कर्ष निकालने की अनुमति नहीं देती हैं।हम अभियोजन पक्ष के बयान को पहले ही इस हद तक खारिज कर चुके हैं कि अपीलार्थी ने श्रीमती को निशाना बनाया था। अनीता और फिर गोली चला दी। अभिलेख पर साक्ष्य से विपरीत रूप से पता चलता है कि अपीलार्थी ने बंदूक को छत की ओर निशाना बनाया और फिर गोली चला दी।यह मिस-फायरिंग का एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला था। अपीलार्थी निश्चित रूप से नहीं कर सकता है

एच.

स्वयं को इस निष्कर्ष से मुक्त करें कि वह एक भीड़-भाड़ वाली जगह पर एक भरी हुई बंदूक ले गया था जहाँ उसके अपने मेहमान विवाह समारोह में भाग लेने के लिए एकत्र हुए थे। उन्होंने हवा में या आसमान की ओर गोली चलाने जैसे कोई उचित सुरक्षा उपाय नहीं किए, बल्कि उन्होंने पूरे जोखिम को आमंत्रित किया और बंदूक को छत की ओर निशाना बनाया और गोली चलाई।उनसे यह जानने की उम्मीद की जा रही थी कि गोलियों से आस-पास के लोगों को कई बार गोली लग सकती है, भले ही एक भी गोली चलाई जाए।अपीलार्थी, इस प्रकार, एक ऐसे कार्य का दोषी है, जिसके संभावित परिणाम, जिसमें निकट परिपथ में रहने वाले व्यक्तियों को घातक चोट पहुँचाना शामिल है, उसके लिए जिम्मेदार हैं।अपीलार्थी द्वारा किया गया अपराध, इस प्रकार, धारा 299 के अर्थ के भीतर 'गैर-इरादतन हत्या' के बराबर होगा, हालांकि भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 304 भाग 2 के तहत दंडनीय होगा।

बी.

सी.

17. जश्न मनाने वाली गोलीबारी की घटनाएं अफसोसजनक रूप से बढ़ रही हैं, क्योंकि उन्हें स्थिति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।आत्म-सुरक्षा या फसलों और मवेशियों की सुरक्षा के लिए लाइसेंस प्राप्त बंदूक को उत्सव के कार्यक्रमों में नहीं दागा जा सकता है, क्योंकि यह घातक दुर्घटनाओं का एक संभावित कारण है।जैसे आग्नेयास्त्रों का दुरुपयोग एक सुखद घटना को निराशा में बदल देता है।अपीलार्थी जीवित कारतुस के साथ बंदूक ले जाने के परिणामों से इस ज्ञान के साथ नहीं बच सकता है कि वहाँ मौजूद लोगों के साथ एक विवाह समारोह में गोलीबारी आसन्न रूप से खतरनाक थी और मृत्यु का कारण बनने की संभावना थी।

डी.

18. कुछ हद तक**,** इसी तरह की स्थिति कुंवर पाल **(**सुप्रा**)** में उत्पन्न हुई जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

ई.

“12. हम पाते हैं कि अपीलार्थी का मृतक को मारने का इरादा, यदि कोई हो, उचित संदेह से परे साबित नहीं हुआ है और किसी भी मामले में अपीलार्थी संदेह के लाभ का हकदार है जो इस मामले में प्रमुख है।इसलिए भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 304 भाग I के तहत सजा को बनाए रखना संभव नहीं है, जिसके लिए आवश्यक है कि जिस कार्य से मृत्यु हुई है, उसे मृत्यु के इरादे से या ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से किया जाना चाहिए जिससे मृत्यु होने की संभावना हो।हालाँकि इरादे का श्रेय देना संभव नहीं है, लेकिन यह मानना भी उतना ही संभव नहीं है कि यह कार्य इस ज्ञान के बिना किया गया था कि इससे मृत्यु होने की संभावना है।हर कोई, जो जिंदा कारतुस के साथ बंदूक रखता है और यहां तक कि अन्य लोग भी जानते हैं कि बंदूक चलाना और वह भी कई लोगों की उपस्थिति में एक कार्य है, मौत का कारण बनने की संभावना है, जैसा कि वास्तव में हुआ था।बंदूकों को जिम्मेदारी और सावधानी की भावना के साथ ले जाना चाहिए और इनका उपयोग विवाह समारोहों जैसे स्थानों पर नहीं किया जाना चाहिए।”

एफ.

जी.

एच.

ए.

19. परिणामस्वरूप, हम मानते हैं कि अपीलार्थी के पास धारा 299 के तहत 'गैर इरादतन हत्या' के अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक ज्ञान था और भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 304 भाग-2 के तहत दंडनीय था। इस प्रकार उसे भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 304 भाग-2 के तहत दोषी ठहराया जाता है न कि भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 302 के तहत। इसी सादृश्य पर, अपीलार्थी को अन्य तीन पीड़ितों को हुई चोटों के लिए भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 307 के स्थान पर धारा 308 के तहत 'गैर इरादतन हत्या करने के प्रयास' के लिए दंडित किया जा सकता है।इस हद तक, अपीलार्थी की दलीलें स्वीकृति के योग्य हैं।

बी.

निष्कर्षः

20. उपर्युक्त कारणों से, अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है।भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 304 भाग-2 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को संशोधित किया गया है और भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 307 के तहत भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 308 में बदल दिया गया है। एक आवश्यक परिणाम के रूप में, अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 302 के तहत अपराध करने के लिए दी गई आजीवन कारावास की सजा को घटाकर 10 साल का कठोर कारावास कर दिया गया है और भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 307 के तहत उसे दी गई सजा को निचली अदालत द्वारा लगाए गए जुर्माने में कोई बदलाव किए बिना भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 308 के साथ प्रतिस्थापित किया गया है।

सी.

डी.

निधि जैन

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

ई.

एफ.

जी.

एच.